डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 30/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सी/टीवीएम/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 30/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईईएल) के संबंध में तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 20 दिसम्बर, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 9 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

केएसआईईएल के लिए तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.11.1**	प्राधिकरण केएसआईईएल द्वारा तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है।	**10**
अध्याय संख्या 3	**3.6.1**	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार केएसआईईएल द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कार्गो मात्रा को मानने का निर्णय लेता है।	**14**
अध्याय संख्या 4	**4.8.1**	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) के परिवर्धनों को मानने का निर्णय लेता है।	**20**
	4.8.2	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	
	4.8.3	प्राधिकरण तालिका 10 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5	**5.6.1**	प्राधिकरण केएसआईईएल के संबंध में तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	**25**
अध्याय संख्या 6	**6.5.1**	प्राधिकरण आयात के अंतर्गत 'सामान्य कार्गो से भिन्न' बीयूपीएस के सिवाय एएफएस से संबंधित सभी श्रेणी के बीयूपीएस (निर्यात एवं आयात कार्गो) में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभारों को मानने का निर्णय लेता है, जहां **संलग्नक-I** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 44% न्यूनतर टीएसपी प्रभार मानेगा।	**32**
अध्याय संख्या 7	**7.5.1**	प्राधिकरण केएसआईईएल के संबंध में तालिका 17 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	**35**
अध्याय संख्या 8	**8.6.1**	प्राधिकरण तालिका 22 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभप्रदता विवरण (प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के बाद) को मानने का निर्णय लेता है।	**44**
	8.6.2	प्राधिकरण केएसआईईएल के संबंध में **संलग्नक-I** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है।	

अध्याय 10 : आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) केएसआईईएल द्वारा तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जा रही कार्गो हैंडलिंग से संबंधित सेवाएं 'मटीरियल नहीं' मानी जाती है। तदनुसार प्राधिकरण ने केएसआईईएल के संबंध में तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ **'लाइट टच अप्रोच' के अंतर्गत** निर्धारित की है।

(ii) केएसआईईएल को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 26.12.2023 से कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में **संलग्नक–I** के अनुसार संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) मैसर्स केएसआईईएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने एयर कार्गो प्रचालनों के लिए प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में अलग वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री जयराज, पी.वी.,
विभाग प्रमुख (एयर कार्गो कॉमप्लेक्स),
मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड
सेंट जोसेफ प्रेस बिल्डिंग, कॉटन हिल,
तिरूवनंतपुरम-695014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री मनोज चादुंका, प्रमुख विनियामक मामले, अदानी कॉरपोरेट हाऊस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के पास, एस.जी. हाइवे, खोडियार, अहमदाबाद- 382421, गुजरात, भारत